

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL
ZONAL BENCH, BHOPAL (M.P.)**
Execution Petition 2 of 2020
IN
Original Application No. 88/2015

IN THE MATTER OF:

Babu Lal Jajoo

...Applicant

Versus

State of Rajasthan & Anr.

... Respondents

INDEX


S. No.	Particulars	Page Nos.
1	Annexure A/1: Copy of the Agreement dated 05.10.2011	1-4
2.	Annexure A/2: Copy of Order dated 30.09.2021 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal	5-6
3.	Annexure A/3: Copy of the letter dated 25.10.2021 issued by Municipal Corporation, Bhilwara	7
4.	Annexure A/4: Copy of the letter dated 26.10.2021 issued by Respondent no.2 / Jindal Saw Limited	8-13
5.	Annexure A/5: Copy of the letter dated 26.11.2021 issued by Respondent no.2 / Jindal Saw Limited	14-16
6.	Annexure A/6: Copy of Order dated 06.12.2021 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal.	17-
7.	Annexure A/6: Copy of Map	18

Through

Uilava

Counsel for the Respondent no.2
Singh & Associates
Founder: Manoj K. Singh
E-337, East of Kailash,
New Delhi – 1110065
Mo.9873341612

Place: New Delhi
Date: 19.01.2022



थान RAJASTHAN

B 900985

अनुबन्ध पत्र

नगर परिषद, भीलवाड़ा

प्रथमपक्ष

जिन्दल शॉ लिमिटेड जरिये पॉवर ऑफ अटोर्नी होल्डर भारत भूषण प्रधान आत्मज श्री पी.सी. प्रधान, आयु- 52 वर्ष, निवासी, बी-34 चित्रकुट नगर, भीलवाड़ा-राज.

द्वितीयपक्ष

यह है कि मैं भारत भूषण प्रधान आत्मज श्री पी.सी. प्रधान, आयु- 52 वर्ष, निवासी-बी-34, चित्रकुट नगर, भीलवाड़ा-राज., जिन्दल शॉ लिमिटेड द्वारा अधिकृत पॉवर ऑफ अटोर्नी होल्डर, नगर परिषद, भीलवाड़ा के पत्र क्रमांक न.प.भी./अन्य राजस्व/2011/7851 दिनांक 06-09-2011 द्वारा व श्रीमान उप शासन सचिव के पत्र क्रमांक एफ 55 ()पी/एसई/डीएलबी/10./STP/भीलवाड़ा/7648 दिनांक 30.03.2011 द्वारा ग्राम कुवाड़ा में परिषद के स्वामित्व की आराजी नं. 338 (132X132) 17424 वर्गमीटर एवं 345 (50X50) 2500 वर्गमीटर में निम्नांकित शर्तों के अनुसार BOOT आधार पर 10 एम.एल.डी. क्षमता का सीवररेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित करने हेतु 19924 वर्गमीटर भूमि 19 वर्ष 11 माह 29 दिन के लिये निर्धारित अनुबन्ध पर आवंटन की गई है। निम्न लिखित शर्तों को दोनों पक्षकार स्वीकार करते हैं :-

भारत भूषण प्रधान
नगर परिषद भीलवाड़ा

(Signature)

(Signature)
सहायक
नगर परिषद भीलवाड़ा



राजस्थान RAJASTHAN

B 022364

1. फर्म मैसर्स जिन्दल शॉ लिमिटेड द्वारा 10 एम.एल.डी. क्षमता का BOOT आधार पर STP का निर्माण करवाया जावेगा एवं फर्म द्वारा उक्त STP का 19 वर्ष 11 माह 29 दिन तक का निःशुल्क संचालन एवं रख रखाव किया जावेगा।
2. निर्धारित 10 एम.एल.डी. क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की Tentative Project Cost राशि रूपये 20.00 करोड़ है।
3. अनुबन्ध अनुमोदन के पश्चात् जिन्दल शॉ लिमिटेड से एस.टी.पी. में प्रयोग होने वाली तकनीक एवं ड्राइंग/डिजाइन किसी मान्यता प्राप्त संस्था से अनुमादित करवाकर प्रस्तुत की जावेगी।
4. जिन्दल शॉ लिमिटेड द्वारा अपने खर्चे पर टेस्ट लेबोरेट्री का प्रबन्ध किया जायेगा।
5. कार्य के सम्पादन के लिये आवश्यक पानी एवं बिजली की व्यवस्था फर्म द्वारा स्वयं के खर्चे पर की जावेगी।
6. एस.टी.पी. के लिये स्थापित किये गये किसी भी स्ट्रक्चर के क्षतिग्रस्त/चोरी होने की स्थिति में उसके रिपेयर/बदलने/लगाने की जिम्मेदारी ऑपरेटर की होगी, जिसकी समस्त लागत जिन्दल शॉ लिमिटेड स्वयं वहन करेगा।
7. प्रोजेक्ट साईट पर किसी भी सम्भावित दुर्घटना के बचाव के लिये सभी व्यवस्थाएँ/सावधानियाँ जिन्दल शॉ लिमिटेड द्वारा रखी जावेगी।
8. प्रोजेक्ट के सम्पादन के दौरान निरीक्षण हेतु सक्षम स्तर के तकनीशियन जिन्दल शॉ लिमिटेड द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।
9. किसी भी प्रकार की जांच/टेस्ट के सम्बन्ध में सभी प्रकार का व्यय भुगतान जिन्दल शॉ लिमिटेड द्वारा किया जावेगा।

आयुक्त

श्री. पी.बी.बाबा

20
 श्री. एम.एल. शर्मा
 आयुक्त

श्री. एम.एल. शर्मा
 सभापति
 नगर परिषद, जयपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

सत्यमेव जयते


INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN


A 909

10. जिन्दल शॉ लिमिटेड द्वारा राशि रूपये 50.00 लाख नगर परिषद में द्वार डिमान्ड ड्राफ्ट संख्या 016925 दिनांक 08.09.2011 अग्रिम जमा किये गये हैं जिसमें से कार्य पूर्ण अवधि के अनुसार राज्य सरकार शास्ति वसूल करने व लिये स्वतंत्र होगी।
11. ऑपरेशन एवं मेन्टीनेंस की अनुबन्ध की अवधि तक समस्त जिम्मेदारी जिन्दल शॉ लिमिटेड की होगी।
12. जिन्दल शॉ लिमिटेड को एस.टी.पी. निर्माण हेतु उपलब्ध करवाई जाने वाला भूमि के लिये एक रूपये प्रति वर्गमीटर प्रति वर्ष की दर से लीज राशि प्रति व की दर से लीज राशि परिषद कोष में जमा करवानी होगी। जो कि प्रथम व के लिये लीज राशि रूपये 19924/- द्वारा डिमान्ड ड्राफ्ट संख्या 016962 दिनांक 15.09.2011 नगर परिषद में जमा कर दिया गया है।
13. 19 वर्ष 11 माह 29 दिन बाद (अनुबन्ध अवधि की समाप्ति पर) एस.टी.पी चालू हालत में निःशुल्क बिना किसी अदायगी के नगर परिषद को हस्तान्तरित किया जायेगा।
14. फर्म द्वारा प्लान्ट के बफर जोन में सघन वृक्षारोपण के अतिरिक्त शहर में 5 हजार वृक्ष लगाये जाकर उनका नियमित रूप से रख-रखाव किया जावेगा।
15. फर्म द्वारा पूरे शहर के पार्को का रख-रखाव किया जावेगा। पार्को की सूची साथ में संलग्न है।
16. फर्म द्वारा शहर में रामधाम के सामने रोड ओवरब्रिज (RoB) का निर्माण करवाया जावेगा। जिसका समस्त खर्चा (निर्माण एवं भूमि का मुआवजा) स्वयं जिन्दल शॉ लिमिटेड वहन करेगी।

आयुक्त



Authorized Signatory



समापति

7. अनावृष्टि की स्थिति में उपनगर क्षेत्र पुर के 2 तालाबों में ट्रिटिंग किया हुआ साफ पानी छोड़ा जावेगा।
18. नगर परिषद क्षेत्र भीलवाड़ा शहर से गन्दे पानी के निकास के लिये सभी नाले/नालियों का निर्माण नियमित रूप से रख-रखाव एवं सफाई का कार्य जिन्दल शॉ लिमिटेड द्वारा स्वयं के खर्च से करवाया जावेगा और यह सुनिश्चित किया जावेगा कि कोई नाला/नाली में पानी का बहाव अवरोध न हो एवं नाले- नालियों की सफाई की भी पूर्ण व्यवस्था की जावेगी।
- A नाले नालियों की सफाई से निकला मलबा, कचरा, कचरा स्थल व (ट्रेचिंग ग्राउण्ड) तक डलवाने की पूर्ण व्यवस्था जिन्दल शॉ लिमिटेड द्वारा की जावेगी।
- B नाले एवं नालियों की सफाई इत्यादि में असफल रहने पर परिषद जिन्दल शॉ लिमिटेड की रिस्क एवं कोस्ट पर करवाएगी तथा इस व्ययन राशि को जिन्दल शॉ लिमिटेड द्वारा पृथक से परिषद को चुकाना होगा।
19. STP के निर्माण हेतु राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी अनुमति दिनांक 29.09.2010 में अंकित समस्त शर्तों की अनुपालना की जावेगी। 10 एम.एल.डी. में राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल द्वारा अभी मात्र 5.5 एम.एल.डी. की ही सहमति दी गई है, शेष 4.5 एम.एल.डी. की अनुमति तत्समय प्राप्त की जावेगी।
20. STP के निर्माण, संचालन एवं रख रखाव हेतु नगर परिषद द्वारा कोई राशि बहन नहीं की जावेगी एवं STP से प्राप्त हुए Sludge को कम्पोस्ट प्लान्ट तक परिवहन का कार्य जिन्दल शॉ लिमिटेड द्वारा किया जावेगा।
21. नगर परिषद के प्रस्तावानुसार कार्य पूर्ण अवधि के अतिरिक्त प्लान्ट के संचालन व रख रखाव अवधि के लिए फर्म जिन्दल शॉ लि. द्वारा बतौर Performance Security राशि रूपये 50.00 लाख की बैंक गारण्टी संख्या 4074711BG0000265 नगर परिषद में जमा कराई गई है।
22. जिन्दल शॉ लि. द्वारा शर्तों का शत प्रतिशत पालन नहीं करने अथवा शिकायते प्राप्त होने पर नगर परिषद उनको दिये जाने वाले पानी को रोकने की कार्यवाही करेगी एवं किसी भी विवाद की स्थिति में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।
23. यह है कि उक्त अनुबन्ध के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी प्रकार के राजस्व, सिविल/अन्य न्यायालय में किसी भी प्रकार का सम्मन/नोटिस नहीं दिया हुआ है, न ही अन्य किसी प्रकार का कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, यदि होगा तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की होगी। यह है कि उक्त अनुबन्ध पाक व साफ होकर पूर्व का कोई विक्रय ईकरार नहीं लिखा हुआ है। इस दस्तावेज की छायाप्रति मांगने पर अस्पष्ट व धुंधली आने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस दस्तावेज के पंजियन सम्बन्धत खर्चा द्वितीयपक्ष ने वहन किया है।

अतः यह अनुबन्ध आज दिनांक5-10-11..... को द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष के पक्ष में राजी-खुशी, प्रसन्नता, बिना जोर दबाव के, उक्त दस्तावेज की ईबारत को अक्षरतः पढ़ा, सुन, समझ, स्वस्थचित्त होकर दो मौतबीरान गवाहों की उपस्थिति में स्टाम्प कीमती 2000/-रूपये किता 3+1 पाई पेपर पर द्वितीयपक्ष के हक में प्रसन्नता से निष्पादित कर सौंप दिया है सो सही सनद रहे वक्त जरूरत काम आवे।


दिनांक :- 5-10-11

स्थान :-


गवाह-1


(Jitendra S. Panwar)


गवाह-2


(Deepak Gupta)


JINDAL SAW LTD.
हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष
Authorized Signatory


JINDAL SAW LTD.
हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष
Authorized Signatory


आयुक्त
नगर परिषद, भीलवाड़ा


हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

सभापति
नगर परिषद, भीलवाड़ा

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

आयुक्त
नगर परिषद, भीलवाड़ा


सभापति
नगर परिषद, भीलवाड़ा

Item No.7

ANNEXURE A/2
5

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL**
(Through Video Conferencing)

Execution Application No. 02/2020 (CZ)

In

Original Application No. 88/2015 (CZ)

Babulal Jajoo

Applicant (s)

Versus

State of Rajasthan & Ors

Respondent(s)

Date of hearing: **30.09.2021**

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. ARUN KUMAR VERMA, EXPERT MEMBER**

For Applicant(s):

Mr. Naveen Ahuja , Adv

For Respondent(s):

Mr. Shoeb Hasan Khan , Adv
Mr. Yash Gopal, Adv
Mr. Anurag Abhishekh, Adv.
Mr. Manoj K. Singh, Adv.
Mr. Sunil Kumar Trehan, Adv

ORDER

1. In compliance of the order passed yesterday, Chief Executive Officer, Nagar Parishad, Bhilwara is present through video conference. The Learned Counsel for the State Shri Shoeb Hasan Khan is also present. We are of the view to find out a reasonable solution for demarcation of approach road to the land demarcated and allotted for construction of STP, which is pending from 2017. The land has already been allotted by the State but inspite of the repeated reminders by the Project Proponent, the approach road has not been provided by the Nagar Parishad, Bhilwara. The Learned Counsel as well as Municipal Commissioner, Nagar Parishad Bhilwara failed to explain properly

with regard to the problem and matter in issue or its any reasonable solution.

2. Accordingly, we direct the representative of the project proponent to approach the office of Municipal Corporation, Bhilwara with all relevant documents and notices, letters issued as mentioned in para (17) (E) of Reply of Respondent No.2 and to find out a reasonable solution of approach road through consultation, and the report be submitted within three weeks. If the way out is not found, the presumption shall be of meditated delay in the construction of STP and a reasonable environmental compensation can be assessed and realised from both the parties responsible for construction of STP as laid down in various orders of the Tribunal.

List it on **10th November, 2021.**

Sheo Kumar Singh, JM

Arun Kumar Verma, EM

30th September, 2021
E.A. No.02/2020 (CZ)
K

187
कार्यालय नगर परिषद, भीलवाड़ा (राज0)

क्रमांक: न.प.भी./राजस्व/2021/18150

दिनांक 25/09/2021
10

राजेन्द्र गोड़
हेड लाईजन, जिदल शॉ. लि.
भीलवाड़ा।

विषय :- माननीयराष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (N.G.T.) भोपाल के आदेशानुसार ग्राम कुवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी नं. 388 मे से मैसर्स जिन्दल शॉ लि0 को 08 बिघा आवंटित भूमि तथा उक्त आवंटित भूमि मे कोटा बाईपास रोड़ से जाने के लिये 30 फीट रास्ते का सीमांकन (DEMACRCATION) करवाने के संबन्ध में।

प्रसंग :- आप द्वारा पूर्व में दिये गये पत्र/स्मरण पत्र एवं सन्दर्भित पत्र BHL/2020/2049 दिनांक 15.02.2020 व BHL/2020/2125 दिनांक 25.08.2020 एवं स्मरण पत्र JSL/BHL/2021/2197 दिनांक 09.09.2021 के क्रम में।

उपरोक्त विषय एवं प्रासांगिक पत्रों के सन्दर्भ में लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल आदेशानुसार ग्राम कुवाड़ा तहसील व जिला-भीलवाड़ा में स्थित परिषद के स्वामित्व की आराजी संख्या 338 में से 8 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटित की गई है, उक्त भूमि में कम्पनी द्वारा 10 MLD क्षमता का अतिरिक्त STP प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

नगर परिषद एवं जिन्दल शॉ.लि. के प्रारंभिक अनुबन्ध अनुसार प्लांट की स्थापना एवं STP स्थापित करने हेतु उक्त आराजी नं. 338 में से ही रकबा 10 बीघा आवंटन की गई थी। चूंकि एक ही आराजी में से पूर्व में आवंटित भूमि एवं वर्तमान में संचालित STP प्लांट से लगायत ही पुनः आवंटित की गई है।

तकनीकी रूप से आप द्वारा वांछित रास्ते का परीक्षण कराया गया जिसके अनुसार प्लांट के सामने पूर्व से ही मौके पर पर्याप्त चौड़ाई की सड़क विद्यमान है। अलग से रास्ते की मांग तकनीकी रूप से उचित प्रतीत नहीं होती है।

आपके प्रस्ताव अनुसार जिस भूमि से अलग से रास्ते की मांग की जा रही है, उस पर राज्य सरकार की बहुउद्देश्य योजना मास्टर प्लान के दृष्टिगत की जा सकती है।

अतः अलग से रास्ता दिया जाना तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं है। इस संदर्भ में पूर्व में परिषद के पत्रांक नपभी/राजस्व/2020/13080-81 दिनांक 19.10.2020 के द्वारा आपको सूचित किया जा चुका है। अनावश्यक पत्राचार कर स्वयं का एवं विभाग का समय व्यर्थ नहीं करें।

इस सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

आयुक्त
नगर परिषद भीलवाड़ा

प्रतिलिपी :-

01. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा को सूचनार्थ।

sd -
आयुक्त

नगर परिषद भीलवाड़ा



JSL/BHL/2021/2206
Date- 26-10-2021

सेवामें,

श्रीमान् आयुक्त महोदय,

नगर परिषद भीलवाड़ा-राज0



विषयः—माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, (N.G.T.) भोपाल के आदेशानुसार ग्राम कुवाड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा के आराजी नं. 338 में से मैसर्स जिन्दल सॉ लि0 को 08 बीघा आवंटित भूमि में कोटा बाईपास रोड़ से जाने के लिये 30 फीट रास्ते का सीमांकन करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंगः— आपके पत्र क्रमांक 13150 दिनांक 25.10.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका सन्दर्भित पत्र प्राप्त हुआ जिसके लिये हम आपके आभारी हैं। आपके उक्त पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि पूर्व में स्थापित एस.टी.पी. प्लान्ट जो कि प्रस्तावित एस.टी.पी. प्लान्ट भूमि के सटमा ही है परन्तु वर्तमान एस.टी.पी. की आन्तरिक संरचना इस प्रकार से है कि तकनीकी रूप से प्लान्ट के सामने स्थित सड़क से प्लान्ट के भीतर होते हुए संयंत्र स्थापित करने हेतु मशीनरी, भारी एवं लम्बे वाहनों का आवागमन संभव नहीं है। अतः पूर्व में स्थापित प्लान्ट के सामने से विद्यमान सड़क को नये एस.टी.पी. प्लान्ट की भूमि तक पहुंचाने हेतु काम में लिया जाना संभव नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन है कि नगर परिषद के साथ पूर्व में निष्पादित अनुबन्ध दिनांक 05.10.2011 की शर्तों के अनुसार पूर्व में स्थापित एस.टी.पी. प्लान्ट जिन्दल सॉ लि0 द्वारा बूट बेसिस पर लगाया गया है जिसे अनुबन्ध अवधि की समाप्ति के पश्चात् चालू अवस्था में नगर परिषद भीलवाड़ा को सुपुर्द किया जाना है।

आपके उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया कि जिस भूमि से अलग रास्ते की मांग की जा रही है उस पर राज्य सरकार की बहुउद्देशीय योजना मास्टर प्लान के दृष्टिगत की जा सकती है। अतः कम्पनी के तकनीकी अधिकारियों द्वारा उक्त पत्र प्राप्त होने के बाद प्रस्तावित एस.टी.पी. साईट का पुनः निरीक्षण किया गया एवं यह पाया गया कि प्रस्तावित एस.टी.पी. प्लान्ट की भूमि तक पहुंचने हेतु कच्चे वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है किन्तु वह न तो पूर्णरूप से बने हुए है ना ही राजस्व रिकॉर्ड में उनका कोई अंकन ही है।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त आवंटित भूमि तक भारी वाहनों, मशीनों इत्यादि के आवागमन हेतु सुलभ पहुंच मार्ग के निर्धारण हेतु नगर परिषद तथा कम्पनी के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ संयुक्त मौका निरीक्षण जल्द से जल्द करवाने की कृपा करें ताकि वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके तथा प्रस्तावित भूमि तक आवागमन हेतु रास्ता सुनिश्चित किया जा सके।

इस सन्दर्भ में विनम्र निवेदन है कि उक्त प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करने के आदेश प्रदान करावे जिससे कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 30.09.2021 की पालना की जा सके तथा माननीय न्यायालय को इस सन्दर्भ में दिनांक 10.11.2021 से पूर्व सूचित किया जा सके।

सधन्यवाद!

कृते जिन्दल सॉ लि०



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रतिलिपी— श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा—राज. को सूचनार्थ प्रेषित है।



10

JSL/BHI./2021/1206
Date- 26-10-2021

सेवामें,
श्रीमान् आयुक्त महोदय,
नगर परिषद भीलवाड़ा-राज0

विषय:-माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, (N.G.T.) भोपाल के आदेशानुसार ग्राम कुवाड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा के आराजी नं. 338 मे से मैसर्स जिन्दल सॉ लि0 को 08 बीघा आवंटित भूमि में कोटा बाईपास रोड़ से जाने के लिये 30 फीट रास्ते का सीमांकन करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- आपके पत्र क्रमांक 13150 दिनांक 25.10.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका सन्दर्भित पत्र प्राप्त हुआ जिसके लिये हम आपके आभारी है। आपके उक्त पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि पूर्व मे स्थापित एस.टी.पी. प्लान्ट जो कि प्रस्तावित एस.टी.पी. प्लान्ट भूमि के सटमा ही है परन्तु वर्तमान एस.टी.पी. की आन्तरिक संरचना इस प्रकार से है कि तकनीकी रूप से प्लान्ट के सामने स्थित सड़क से प्लान्ट के भीतर होते हुए संयंत्र स्थापित करने हेतु मशीनरी, भारी एवं लम्बे वाहनों का आवागमन संभव नहीं है। अतः पूर्व मे स्थापित प्लान्ट के सामने से विद्यमान सड़क को नये एस.टी.पी. प्लान्ट की भूमि तक पहुंचने हेतु काम मे लिया जाना संभव नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन है कि नगर परिषद के साथ पूर्व मे निष्पादित अनुबन्ध दिनांक 05.10.2011 की शर्तों के अनुसार पूर्व मे स्थापित एस.टी.पी. प्लान्ट जिन्दल सॉ लि0 द्वारा बूट बेसिस पर लगाया गया है जिसे अनुबन्ध अवधि की समाप्ती के पश्चात् चालू अवस्था में नगर परिषद भीलवाड़ा को सुपुर्द किया जाना है।

[Handwritten Signature]
27/10/21

आपके उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया कि जिस भूमि से अलग रास्ते की मांग की जा रही है उस पर राज्य सरकार की बहुउद्देशीय योजना मास्टर प्लान के दृष्टिगत की जा सकती है। अतः कम्पनी के तकनीकी अधिकारियों द्वारा उक्त पत्र प्राप्त होने के बाद प्रस्तावित एस.टी.पी. साईट का पुनः निरीक्षण किया गया एवं यह पाया गया कि प्रस्तावित एस.टी.पी. प्लान्ट की भूमि तक पहुंचने हेतु कच्चे वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है किन्तु वह न तो पूर्णरूप से बने हुए है ना ही राजस्व रिकॉर्ड में उनका कोई अंकन ही है।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त आवंटित भूमि तक भारी वाहनों, मशीनों इत्यादि के आवागमन हेतु सुलभ पहुंच मार्ग के निर्धारण हेतु नगर परिषद तथा कम्पनी के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ संयुक्त मौका निरीक्षण जल्द से जल्द करवाने की कृपा करें ताकि वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके तथा प्रस्तावित भूमि तक आवागमन हेतु रास्ता सुनिश्चित किया जा सके।

इस सन्दर्भ में विनम्र निवेदन है कि उक्त प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करने के आदेश प्रदान करावे जिससे कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 30.09.2021 की पालना की जा सके तथा माननीय न्यायालय को इस सन्दर्भ में दिनांक 10.11.2021 से पूर्व सूचित किया जा सके।

सधन्यवाद!

कृते जिन्दल साँ लि०



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

✓ प्रतिलिपी- श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा-राज. को सूचनार्थ प्रेषित है।

12

Item No.7

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
(Through Video Conferencing)**

**Execution Application No. 02/2020 (CZ)
In
Original Application No. 88/2015 (CZ)**

Babulal Jajoo

Applicant (s)

Versus

State of Rajasthan & Ors

Respondent(s)

Date of hearing: 30.09.2021

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. ARUN KUMAR VERMA, EXPERT MEMBER**

For Applicant(s):

Mr. Naveen Ahuja , Adv

For Respondent(s):

Mr. Shoeb Hasan Khan , Adv
Mr. Yash Gopal, Adv
Mr. Anurag Abhishekh, Adv.
Mr. Manoj K. Singh, Adv.
Mr. Sunil Kumar Trehan, Adv

ORDER

1. In compliance of the order passed yesterday, Chief Executive Officer, Nagar Parishad, Bhilwara is present through video conference. The Learned Counsel for the State Shri Shoeb Hasan Khan is also present. We are of the view to find out a reasonable solution for demarcation of approach road to the land demarcated and allotted for construction of STP, which is pending from 2017. The land has already been allotted by the State but inspite of the repeated reminders by the Project Proponent, the approach road has not been provided by the Nagar Parishad, Bhilwara. The Learned Counsel as well as Municipal Commissioner, Nagar Parishad Bhilwara failed to explain properly

13

with regard to the problem and matter in issue or its any reasonable solution.

2. Accordingly, we direct the representative of the project proponent to approach the office of Municipal Corporation, Bhilwara with all relevant documents and notices, letters issued as mentioned in para (17) (E) of Reply of Respondent No.2 and to find out a reasonable solution of approach road through consultation, and the report be submitted within three weeks. If the way out is not found, the presumption shall be of meditated delay in the construction of STP and a reasonable environmental compensation can be assessed and realised from both the parties responsible for construction of STP as laid down in various orders of the Tribunal.

List it on **10th November, 2021.**

Sheo Kumar Singh, JM

Arun Kumar Verma, EM

30th September, 2021
E.A. No.02/2020 (CZ)
K




JINDAL SAW LTD.

ANNEXURE A/5

JSL/BHL/2021-22/2216

Date: 26.11.2021

सेवामें,
श्रीमान् आयुक्त महोदय,
कार्यालय नगर परिषद,
भीलवाड़ा-राज.



14

विषय:-माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, (N.G.T.) भोपाल के आदेशानुसार ग्राम कुवाड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा के आराजी नं. 338 में से मैसर्स जिन्दल सॉ लि. को 08 बीघा आवंटित भूमि तक जाने के लिये 30 फीट रास्ते के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-हमारे पत्र दिनांक 26.10.2021 तथा नगर परिषद, भीलवाड़ा के अधिकारियों के साथ किए गए मौका निरीक्षण दिनांक 03.11.2021 एवं 25.11.2021 के क्रम में।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा मैसर्स जिन्दल सॉ लिमिटेड को माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, (N.G.T.) भोपाल के आदेशानुसार ग्राम कुवाड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा के आराजी नं. 338 में से 08 बीघा आवंटित भूमि में प्रस्तावित एस.टी.पी. की स्थापना की जानी है जिस हेतु भूमि तक पहुंचने के लिए रास्ते हेतु निवेदन किया गया था।

इस सन्दर्भ में नगर परिषद के अधिकारियों एवं जिन्दल सॉ लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 03.11.2021 को मौके का अवलोकन किया गया तत्पश्चात् दिनांक 25.11.2021 को आप स्वयं द्वारा अपने अधिनस्थ अधिकारियों के साथ प्रस्तावित एस.टी.पी. की भूमि पर जाने हेतु रास्ते का मौका निरीक्षण किया गया। रास्ते हेतु सभी सम्भावित जगह देखने तथा विस्तृत चर्चा के उपरान्त कोटा रोड़ एवं कुवाड़ा रोड़ से उक्त भूमि तक पहुंचने की व्यवस्था देखी गई परन्तु दोनों ही स्थानों से रास्ता देना सम्भव नहीं पाया गया। ऐसी स्थिति में कुवाड़ा रोड़ से होते हुए पूर्व-स्थापित एस.टी.पी. की चारदीवारी के अन्दर

(Signature)

— 2 —

// 2 //


15

दीवार से सटे हुए उत्तर-पूर्व दिशा से होते हुए उत्तर-दक्षिण दिशा की तरफ प्रस्तावित एस.टी.पी. तक 30 फीट का गलियारा रास्ते हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। चूंकि प्रस्तावित एस.टी.पी. की भूमि पर पहुंचने हेतु अन्य कोई सुलभ मार्ग उपलब्ध नहीं होने से हमारा प्रस्ताव है कि कुवाड़ा रोड़ से एस.टी.पी. की चारदीवारी के अन्दर दीवार से सटे हुए उत्तर-पूर्व दिशा से होते हुए उत्तर-दक्षिण दिशा खसरा संख्या 338 में होते हुए प्रस्तावित एस.टी.पी. तक 30 फीट चौड़ा गलियारा को रास्ते हेतु प्रयुक्त किया जा सकेगा जो कि भविष्य में वर्तमान एस.टी.पी. को अनुबन्ध के अनुसार नगर परिषद को सुपुर्द किये जाने के बाद भी उक्त सम्पूर्ण गलियारा का रास्ते हेतु नगर परिषद भीलवाड़ा एवं जिन्दल सॉ लिमिटेड द्वारा उपयोग में लिया जा सकेगा। इस गलियारे में से नगर परिषद की प्रयुक्त की जाने वाली भूमि जो कि लगभग 445 x 30 अर्थात् 13350 वर्ग फीट होगी, के बराबर भूमि जिन्दल सॉ लिमिटेड को आवंटित 8 बीघा भूमि में से समायोजित किया जाने हेतु हम सहमत है।

अतः इस सन्दर्भ में निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव पर सहमति देते हुए कुवाड़ा रोड़ से प्रवेश कर वर्तमान में स्थापित एस.टी.पी. से सटमा होते हुए नगर परिषद की समायोजित भूमि से प्रस्तावित एस.टी.पी. की भूमि तक पहुंचने के लिए 30 फीट का गलियारा रास्ते हेतु प्रयुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान करावें तथा सुनिश्चित करें कि उक्त गलियारा हमेशा नगर परिषद, भीलवाड़ा एवं जिन्दल सॉ लिमिटेड द्वारा उपयोग में लिया जा सकेगा, जो कि वर्तमान स्थापित एस.टी.पी. को नगर परिषद को सुपुर्द करने के बाद भी यथावत रहेगी।


सधन्यवाद!

कृते जिन्दल सॉ लि.



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

16



For Jirkal SAW Ltd.

[Handwritten Signature]

Authorised Signatory/ies

Land to be
 Adjudged
 $222.6 \times 60'$
 13350 sq ft

Item No. 03

ANNEXURE A/6

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
(Through Video Conferencing)**

17

Execution Application No. 02/2020InOriginal Application No. 88/2015 (CZ)

Babulal Jajoo

Applicant(s)

Versus

State of Rajasthan & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: **06.12.2021**

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. ARUN KUMAR VERMA, EXPERT MEMBER**


For Applicant (s) : Mr. Naveen Ahuja, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Yash Goyal, Adv.
Mr. Anurag Abhishek, Adv.
Mr. Rajesh Kuvera, Adv.
Mr. Shoeb Hasan Khan, Adv.

ORDER

1. Learned counsel appearing for the project proponent has submitted that meetings were held by the Authorities and Municipal Corporation (probably on 03rd & 25th November, 2021) with inspection the site and matter for providing the 30 feet path way is under consideration.
2. A short time was sought. The matter may be finalised in consultation with the representative of the project proponent and municipal authorities and action taken report must be submitted before the next date of hearing.

List it on **20th January, 2022** for final hearing.**Sheo Kumar Singh, JM****Arun Kumar Verma, EM**

06th December, 2021
E.A. No. 02/2020 (CZ)
PN



Disclaimer :

Since we did not get access road from MCB, we propose access road through our existing sewerage treatment plant. The main concern is the lease period of existing plant would expire in 2031 and would be handed over to MCB, the proposed access road should be allowed to use until lease period of new STP.